(53)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0– भवन/स्था0–01–11(नि0)–06/2023 9767(भ) पटना, दिनांक– 29/11/24

श्री तारणी दास, मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना के दिनांक–31.10.2024 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मूल धारित पद यथा मुख्य अभियंता (उत्तर) के पद पर अगले 02 (दो) वर्ष अथवा मुख्य अभियंता (उत्तर) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) संविदा के आधार पर नियोजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय अधि0सं0–8990, दिनांक–09.11.2024 द्वारा श्री दास के संविदा नियोजन का आदेश निर्गत किया गया है।

2. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.11.2024 में मद सं0–04 के रूप में उपर्युक्त प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में विभागीय अधि0सं0–8990, दिनांक–09.11.2024 द्वारा निर्गत आदेश को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इनकी कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इन्हें योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. श्री दास को पदीय दायित्व के निर्वहन हेतु मुख्य अभियंता के सभी अधिकार एवं सुविधाये देय होगी।

6. श्री दास को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(6)(i) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। उक्त संकल्प की कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षित हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रमेन्द्र कुमार) 29/11/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–11 (नि0)–06/2023 9767(भ) /पटना, दिनांक– 29/11/24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0..........

Madhumita.raj.sthapna/Nfolder(2)/K.Adhisuchana

(52)

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–11 (नि0)–06/2023.......9767(भ)...../पटना, दिनांक– 29/11/24

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय लोकायुक्त, बिहार के सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ प्रशासन विभाग/निगरानी विभाग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–11 (नि0)–06/2023.......9767(भ)...../पटना, दिनांक– 29/11/24

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आ प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी मुख्य वास्तुविद/सभी उप सचिव/निं अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभि (विद्युत सहित)/ मुख्यालय अवस्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/श्री तारणी दास, मुख्य अभि (उत्तर)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Madhumita.raj.sthapna/Nfolder(2)/K.Adhisuchana

भवन निर्माण विभाग

....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–9155 दिनांक–15.11.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.11.2024 में मद संख्या–04 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

4.	श्री तारणी दास, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, भवन निर्माण विभाग के दिनांक–31.10.2024 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मुख्य अभियंता (उत्तर) के पद पर योगदान की तिथि से अगले 02 (दो) वर्ष तक के लिए अथवा मुख्य अभियंता (उत्तर) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए संविदा पर नियोजन के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

कुमार राय

592
22/11/24
बिहार, पटना

25/11

(राजेश कुमार सिंह)

715
25/11/24

25/11/24
S/O

25/11/2024
ASO (श्री कुन्दन)